श्री रवीन्द्र कुमार, बि0 प्र0 से0, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा अंचल बिहारीगंज के हल्का न0- 04 का दिनांक- 15/07/2014 को किये गए निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :-

1. हल्का मुख्यालय एवं हल्का कचहरी भवन :-

परिचय :- बिहारीगंज अंचल का सृजन वर्ष-1995 में हुआ। हल्का न0- 04 इस नवसृजित अंचल का मुख्यालय हल्का है। हल्का के अंतर्गत कुल 06 राजस्व ग्राम हैं। सभी चिरागी ग्राम हैं। पूर्व में यह हल्का अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत था, लेकिन बाद में इसे नगर विकास विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं.- 230 दिनांक- 14.01.1997 के द्वारा मधेपुरा जिला अन्तर्गत बिहारीगंज अधिसूचित क्षेत्र कमिटि बिधटित कर इसे ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इस हल्का का कुल क्षेत्रफल 5420.31 एकड़ है तथा चौहद्दी, उ0- हल्का न0- 12, द0- हल्का न0- 07, पू0- पूर्णिया जिला का सीमा एवं प0- हल्का न0- 03 है। हल्का के अंतर्गत राजस्व ग्रामों का रकवा निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	राजस्व गाँव का नाम	रकवा
01.	विसनपुर	647.38 ए0
02.	बढ़ैया	191.12 ए0
03.	बिहारीगंज	620.31 ए0
04.	हथिऔंधा	2142.36 ए0
05.	कुश्थन	771.93 ए0
06.	राजगंज	1047.21 ए0
		5420.31 ए0

भवन :- हल्का न0- 04 का अपना हल्का कचहरी, जमीन एवं भवन है। भवन की स्थिति बहुत ही जर्जर है। इसी भवन में हल्का के सभी राजस्व अभिलेख रखे हुए हैं। हल्का कर्मचारी भी राजस्व कचहरी में रहतें है। भवन कभी भी गिर सकता है। ऐसी स्थिति में इनका मरम्मत कराना अत्यन्त ही आवश्यक है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि भवन के मरम्मति का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से अपर समाहर्त्ता/ समाहर्त्ता, मधेपुरा को अबिलंब भेजें। हल्का कचहरी के सरकारी भूमि का विवरण एवं स्थिति निम्न प्रकार बताया गय :-

खाता	खेसरा	रकवा	कैफियत कॉलम	वर्त्तमान स्थिति
553	340	4.09 ए0	बुधवार, शनिवार को हाट लगता है।	रैयती जमाबंदी कायम हुआ है
	341	0.03 ए0	सरकारी कचहरी	सरकारी कचहरी
	344	0.43 ए0	कचहरी जमीनदार बिहार सरकार	थाना, कचहरी का खाली जगह
	345	0.32 ए0	बुधवार, शनिवार को हाट लगता है।	अतिक्रमित

हल्का कर्मचारी को निदेश दिया गया कि कचहरी की संपूर्ण भूमि का अंचल अमीन से मापी कराकर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन अंचल अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। कचहरी की भूमि अगर अतिक्रमित पाया जाता है, तो अंचल अधिकारी, बिहारीगंज अविलंब अभिलेख खोलकर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिकमित भूमि को नियमानुसार खाली कराना सुनिश्चित करेंगें। यदि कचहरी की भूमि की जमाबंदी किसी रैयत के नाम कायम करा ली गयी है तो अंचल अधिकारी इसकी जाँच एवं गहन छानबीन कर जमाबंदी रद्द करने का नियमानुसार प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से अपर समाहर्त्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2. हल्का में कुल खतियानी/ जमाबंदी रैयतों का मौजावार स्थिति :-

क्र0	राजस्व थाना न0	मौजा का नाम	मौजा का क्षेत्रफल (एकड़ में)	मौजा में कुल खतियानी रैयतों की संख्या	मौजा में कुल जमाबंदी रैयतों की संख्या
01	02	03	04	05	05
01	229	विशनपुर	647.88	237	730
02	230	बढ़ैया	191.12	130	618
03	231	बिहारीगंज	620.31	753	2575
04	232	हथिऔंधा	2142.36	1425	3612
05	233	कुश्थन	771.93	453	1141
06	234	राजगंज	1047.21	472	1394
योग			5420.31	3470	10,070

हल्का के जमाबंदी पंजी का निर्माण हाल सर्वे खतियान के आधार पर हुआ है। प्रारंभ में खाता न0 के समरुप जमाबंदी न0, दर्ज किया गया। बाद में रैयतों की संख्या बढ़ने से जमाबंदी पंजी में रैयतों की संख्या में वृद्धि हुयी है।

3. जमाबंदी पंजी :- जमाबंदी पंजी में मौजावार जिल्दों की संख्या निम्नलिखित है:-

क्र0	मौजा का नाम	जमाबंदी पंजी के जिल्दों की संख्या	अभ्युक्ति
01	02	03	04
01	विशनपुर	03	
02	बढ़ैया	02	
03	बिहारीगंज	12	
04	हथिऑधा	13	
05	कुस्थन	05	
06	राजगंज	05	

मौजा बढ़ैया/230 के जमाबंदी पंजी का अवलोकन किया गया। यह दो जिल्दों में हाल सर्वे खतियान के आधार पर संधारित है। इस मौजा का कुल मांग क्या है, हल्का कर्मचारी को जानकारी नहीं है। कारण यह है कि जमाबंदी पंजी को अद्यतन नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी मौजों के जमाबंदी पंजी को एक माह में अद्यतन कर कम्पाईलेशन सीट तैयार करेंगे तथा हल्का का वास्तविक मांग का प्रतिवेदन अंचल अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तूत करेंगे। हल्का कर्मचारी को निम्नलिखित निदेश दिया गया-

- मांग में परिवर्त्तन को लाल स्याही से
- मांग को ब्लू स्याही से
- परिवर्त्तन के प्राधिकार कॉलम में नामांतरण वाद सं0/वर्ष, नामांतरण स्वीकृति आदेश की तिथि के साथ खाता/खेसरा/रकवा तथा किस जमाबंदी नं0 पर रकवा को खारिज कर दाखिल किया गया का विवरण देकर पूर्ण हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित करेंगे।
- एक राजस्व ग्राम के सभी जमाबंदी पंजी जिल्दों में जमाबंदी रैयतों के क्रम संख्या (जमाबंदी नम्बर) लगातार रहेगा।

4. राजस्व वसूली :- इस हल्का के विगत तीन वर्षो का लगान/ राजस्व वसूली की विवरणी निम्न प्रकार है-

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	वसूली	नजारत मे जमा
2011-12	2,75,329.00	2,75,329.00	2,75,329.00
2012-13	4,59,600.00	4,59,600.00	4,59,600.00
2013-14	5,19,294.00	5,19,294.00	5,19,294.00
2014-15 (जून तक)	51930.00	19,916.00	19,916.00

हल्का में राजस्व की वसूली लक्ष्य के अनुरुप नहीं है। माह जून का लक्ष्य- 51930 रुपये बताया गया, परन्तू वसूली मात्र 19,916 रुपये हैं जो माह जून तक के कुल लक्ष्य का 38 प्रतिशत है। यह अत्यंत ही खेद जनक स्थिति है। अगर वार्षिक लक्ष्य को देखा जाय, तो यह वसूली वार्षिक लक्ष्य के मात्र 3.08 प्रतिशत है। ऐसा प्रतीत होता है हल्का कर्मचारी द्वारा क्षेत्र भ्रमण नहीं किया जा रहा है और ना हीं दाखिल खारिज पर ध्यान दिया जा रहा है। माह के अंत तक सुधार नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि हल्का कर्मचारी के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्रवाई हेतू प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी द्वारा इस अंचल के वित्तीय वर्ष- 2014-15 के कुल माँग के अनुरुप निर्धारित हल्कावार माँग की प्रति रक्षी संचिका में संधारित करेंगे। वसूली राशि को प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में अंचल नजारत में जमा करेंगे।

5. पूर्व निरीक्षण :-

निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	निरक्षण की तिथि	अनुपालन की स्थिति
श्री उदयकान्त झा, भू0सु0उ0, उदाकिशुनगंज	21.05.2005	अनुपालित
मो0 साकिर जमाल, अनु0 पदा0, उदाकिशुनगंज	14.06.2005	अनुपालन लंबित
श्री दिवाकर प्रसाद, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा	22.12.2005	अनुपालन लंबित
श्री राजेश कुमार गुप्ता भू0 सु0 उ0, उदाकिशुनगंज	30.10.2013	अनुपालन लंबित

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त है तथा रक्षी संचिका में संधारित है, परन्तू अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। निदेश दिया गया कि निरीक्षण टिप्पणी एवं उसका अनुपालन रक्षी संचिका में साट कर रखेंगें। वर्ष 2005 के पूर्व का कोई निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध नहीं है। निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन लंबित रहना एक गंभीर मामला है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि, अब तक के सभी उपलब्ध निरीक्षण टिप्पणीयों का अनुपालन 15 दिनों के अंदर कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगें।

6. राजस्व कर्मचारी के पदस्थापन विवरणी :- विगत तीन राजस्व कर्मचारियों के पदस्थापन विवरणी निम्न प्रकार है-

क्र0	राजस्व कर्मचारी का नाम	पदस्थापन अवधि	प्रभार प्रतिवेदन
01	शत्रुधन यादव	19.06.1999 से 2005 तक	अनुपलब्ध
02	उपेन्द्र यादव	2005 से 26.06.2013 तक	अनुपलब्ध
03	रामचन्द्र यादव (सेवा निवृत पुनः संविदा पर नियुक्त)	26.06.2013 से आज तक	अनुपलब्ध

हल्का में प्रभार प्रतिवेदन की रक्षी संचिका संधारित नहीं है, कोई प्रभार पंजी भी संधारित नहीं है। उपरोक्त विवरण हल्का कर्मचारी के कथनानुसार अंकित किया गया है। निदेश दिया जाता है कि सभी प्रभार प्रतिवेदन हल्का/ अंचल कार्यालय से खोज कर उसकी एक प्रति रक्षी संचिका में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी एक प्रभार पंजी भी संधारित करेंगे।

7. <u>गैरमजरुआ आम एवं गैर मजरुआ खास भूमि :-</u>

हल्का में गैरमजरुआ आम एवं गैर मजरुआ खास भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है।

क्र0	मौजा का नाम	थाना न0	गैरमजरुआ आम भूमि का रकवा ए0 डी0	गैरमजरुआ खास भूमि का रकवा ए0 डी0	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
01	विशनपुर	229	9.46	0.10	
02	बढ़ैया	230	1.00	00	
03	बिहारीगंज	231	19.46	11.89	
04	हथिऔंधा	232	54.98	3.78	
05	कुस्थन	233	13.68	0.06	
06	राजगंज	234	39.52	1.92	
	कुल योग		138.10	17.76	

गैरमजरुआ आम वो गैरमजरुआ खास भूमि के मौजावार संधारित पंजी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि विभाग से बार-बार इसके लिये स्मार प्राप्त हो रहे हैं। हल्का कर्मचारी को निदेश दिया गया कि मौजावार सत्यापन हेतू समय सीमा का लक्ष्य निर्धारित कर अंचल अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे। भौतिक सत्यापन हेतू निम्न प्रपत्र में गैरमजरुआ आम वो गैरमजरुआ खास भूमि के अलग-अलग पंजी मौजावार संधारित करेंगे।

<u>गैरमजरुआ आम/गैरमजरुआ खास भूमि का भौतिक सत्यापन पंजी</u>

अंचल का नामः-

हल्का न0 :-

हल्का कर्मचारी का नाम :-

क्र0 सं0	भौतिक सत्यापन कि तिथि	मौजा का नाम	राजस्व थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा ए0 डी0	खतियान में किस्म जमीन	सत्यापन में जमीन की भौतिक प्रकृति	अतिक्रमण कि स्थिति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

8. <u>3ए एवं 3एए :-</u>

<u>3ए :-</u> अंचल कार्यालय से प्राप्त कुल 20 लगान रसीद जिल्दों में दिनांक- 15.07.2014 तक कुल सात जिल्दों से लगान निर्गत होकर समाप्त हो गया है। एक जिल्द से दो लगान रसीद निर्गत होना बाँकी है। इस प्रकार अब तक कुल निर्गत लगान रसीदों की संख्या- 398 है। अंतिम लगान रसीद संख्या- 245398 दिनांक- 05.07.2014 को सुलतान दास पे0- शालीग्राम दास को निर्गत है। 3ए में 07 जिल्दों के लगान रसीदों की प्रविष्टि की गयी है। 08वाँ जिल्द की प्रविष्टि 3ए में नहीं की गयी है। 08 वाँ जिल्द का पहला लगान रसीद संख्या- 245351 दिनांक- 01.07.2014 को रामदेव मुखिया पे0- बैजनाथ मुखिया के नाम से निर्गत है। 3ए को दिनांक- 19.06.2014 तक ही अद्यतन किया गया है। जिल्द संख्या- 07 का अंतिम लगान रसीद दिनांक- 19.06.2014 है, जो 3ए में राजेन्द्र प्रसाद भगत पिता- नन्दलाल भगत, जमाबंदी न0- 618 राशि 103 रुपये दर्ज है- जो 3ए से मेल खाता है। दिनांक 20.06.2014 से 15.07.2014 तक कोई प्रविष्टि नहीं है। यह स्थिति खेदजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल निरीक्षक द्वारा नियमित रुप से 3ए पंजी की जाँच नहीं की जा रही है। अंचल अधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह के अन्त में प्रत्येक हल्का के 3ए पंजी का स्वंय भी अवलोकन कर संतुष्ट हो लेंगे।

<u>3एए :-</u> माह मई 2014 तक संधारित है, और दिनांक- 29.05.2014 तक अद्यतन है। पंजी 3एए के अनुसार माह मई 2014 का वसूली निम्नवत् हैः-

लगान	रोड सेस	शिक्षा सेस	स्वास्थ्य सेस	कृषि विकास सेस	कुल वसूली
2596	655=40	1310=30	1310=30	663	6535

माह मई 2014 की अलग-अलग मद में वसूली नियमानुसार नहीं की गई है। राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या- 15/लेखा-10/2000-415/रा0 दिनांक- 16.06.2000 में यह उल्लेख किया गया है कि महालेखाकार बिहार, पटना द्वारा संपादित जाँच अंकेक्षण प्रतिवेदन में सेस वसूली से संबंधित कई कंडिकाओं का अनुपालन लंबित रहता है। इसका का कारण लगान पर धार्य होने वाले सेसों का निर्धारण/वसूली सही-सही नहीं किया जाना है। सुलभ प्रसंग हेतू सेसों का प्रकार एवं निर्धारित वसूलनीय प्रतिशत का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं0	लगान पर धार्य सेस का प्रकार	लगान का % वसूलनीय सेस
01	02	03
01	शिक्षा सेस	50 %
02	स्वास्थ्य सेस	50 %
03	कृषि विकास सेस	20 %
04	रोड सेस	25 %

कृषि परियोजनार्थ धारित भूमि पर लगान छूट (भू-लगान, भुगतान से छूट अधिनियम 1982) के क्षेत्रों में भी सेसों की वसूली वर्जित नहीं है। सभी प्रकार के सेस शत प्रतिशत् वसूलनीय है। हल्का कर्मचारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

जनशिकायत पंजी :- जनशिकायत पंजी संधारित नहीं है। यह खेदजनक है। हल्का कर्मचारी को निदेश दिया गया कि संलग्न प्रपत्र में हल्का में जनशिकायत पंजी संधारित करेंगे ताकि विभिन्न स्तरों से जाँच/निष्पादन हेतू प्राप्त शिकायत पत्रों को प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन भेजना/ निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

क्रम सं0	कहाँ से प्राप्त पत्रांक/ दिनांक	जनता दरबार का निबंधन संख्या	आवेदक का नाम एवं पता	विषय वस्तू	जाँच/निष्पादन हेतू हल्का में प्राप्ति कि तिथि	कृत कार्रवाई
01	02	03	04	05		

9. रिटर्न - III :- हल्का कर्मचारी को इसकी जानकारी नहीं है। निदेश दिया गया डिफॉल्टर सूची तैयार कर विहित प्रपत्र में लगान वसूली हेतू रैयतों को नोटिस भेजेंगे।

10. हल्का कर्मचारी का भ्रमण पंजी :- संधारित नहीं है। नियमित रुप से संधारित करेंगे।

11. ग्राम पंजी :- संधारित नहीं है। पन्द्रह दिनों के अंदर संधारित करेंगे। पंजी में उस राजस्व ग्राम के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण सड़क तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को संधारित करेंगे और हल्का भ्रमण के क्रम में नियमित रुप से अद्यतन करेंगे।

12. अतिकमण पंजी :- संधारित नही है। एक सप्ताह के अंदर संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

13. बेदखली पंजी :- लोक भूमि के सुयोग्य श्रेणी के पर्चाधारियों के बेदखली/आशंकित बेदखली की एक पंजी संधारित करेंगे। हल्का भ्रमण के क्रम में ऐसा दृष्टिगोचर होता है, तो पंजीबद्ध करेंगे। बेदखली/आशंकित बेदखली के मामले में राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या- 7/सी0 बेदखली 7-1/2010-347-रा0 दिनांक- 30.04.2010 के आलोक में ससमय कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

14. दाखिल खारिज पंजी :- संधारित नहीं है। एक सप्ताह के अंदर संधारित करेंगे।

15. RTPS पंजी :- RTPS के अंतर्गत दाख़िल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का हल्का स्तर पर निष्पादन यथा जाँच प्रतिवेदन भेजना, स्वीकृत आवेदनों का शुद्धि पत्र प्राप्त करना, जमाबंदी कायम करना एवं लगान रसीद निर्गत करना, की स्थिति की जाँच के क्रम में पाया गया कि स्वीकुत आवेदनों से संबंधित प्राप्त शुद्धिपत्र 35 (पैंतीस) की संख्या में जमाबंदी कायम करने के लिए लंबित है, ये सभी शुद्धि पत्र माह अप्रैल/मई 2014 के है। प्राप्त शुद्धि पत्रों को बंडल के रुप में रखा गया है, जबकि इसे रक्षी संचिका में साट कर संधारित करना है। यह अत्यनत ही आपत्तिजनक स्थिति है। हल्का कर्मचारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में उस सप्ताह के बैठक की तिथि तक स्वीकृत सभी अवेदनों के शुद्धि पत्र अंचल कार्यालय से प्राप्त कर दो दिनों के अंदर जमाबंदी कायम करना सुनिश्चित करेंगे। कायम जमाबंदियों को शुद्धिपत्र में भी अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे, जिसकी एक प्रति अंचल कार्यालय को वापस करगें। अंचल अधिकारी प्रत्येक पंद्रह दिनों पर अंचल कार्यालय से स्वीकृत आवेदनों के निर्गत शुद्धि पत्रों के कायम जमाबंदीयों की जाँच कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे और मासिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलबध करायेंगे। अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक हल्का में निम्न प्रपत्र में RTPS आवेदनों के निष्पादन की स्थिति संधारित किया जाय।

क्र0	माह/वर्ष	RTPS अंतर्गत अंचल कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की संख्या (प्रश्नगत हल्का का)	जाँच प्रतिवेदन भेजे गए आवेदनों की संख्या	अंचल कार्यालय से स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अंचल कार्यालय से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शुद्धि पत्र निर्गत आवेदनों की संख्या	आवेदनों की संख्या जिसमें जमाबंदी कायम किया गया	आवेदनों की संख्या जिसमें लगान रसीद निर्गत किया गया	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	अप्रैल/ 2014								
02	मई/ 2014								
03	जून/ 2014								
04	क्रमशः आगे								

16. भूदान पंजी :- संधारित नहीं है- एक सप्ताह में संधारित कर अंचल अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तूत करेंगे।

17. नाजीर रसीद की रक्षी संचिका :- संधारित है। वसूली एवं जमा मेल खाता है।

18. सैरात पंजी :- संधारित नहीं है। हल्का अंतर्गत आने वाले सभी सैरातों का पूर्ण विवरण सहीत निम्न प्रपत्र में संधारित करेंगे।

A/